भाग 2

7.	परियोजना/स्कीम का नाम	जनपद लखीमपुर खीरी में राजमार्ग संख्या–101 (पलिया–त्रिकुलिया–खजुरिया मार्ग) के कि.मी. 82.20 से कि.मी. 119.50, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–730 (पीलीभीत–बेतिया–असाम मार्ग) के कि.मी. 88.00 से कि.मी. 92.50 एवं राजमार्ग संख्या–21 (बिलरॉया–पनवारी मार्ग) के कि.मी. 1.50 से कि.मी. 8.60 तथा कि.मी. 18.70 से कि.मी. 26.00 तक कुल कि.मी. 56.20 एवं 0.5924 हे0 संरक्षित वन भूमि में HDD Method से भूमिगत आप्टिकल फाइवर केबिल बिछाने हेतु बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध में।
(i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उ0प्र0।
(ii)	जिला	लखीमपुर खीरी।
(iii)	वन प्रभाग	उत्तर खीरी वन प्रभाग/बफर जोन, दुधवा टाइगर रिजर्व, लखीमपुर खीरी।
(iv)	वनोत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हे0) में	0.5924 हे0
(v)	वन की कानूनी स्थिति	संरक्षित वन।
(vi)	हरियाली का धनत्व	0.4
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि क्षेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्नक की जायें) सिंचाई/जलीय परियोजना के संबंध में एक और एल.एफ. और एल.–2 मीटर पर परिगणना और आर.एल.–4 मीटर भी संलग्न किये जाये।	परियोजना से कोई भी वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहा है।
(viii)	भूरक्षण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र संवेदनशील नहीं है।
(ix)	वनोत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	प्रस्तावित स्थल की दूरी संरक्षित क्षेत्र से 0 किमी0 पर स्थित है।
(x)	क्या फाम उद्यान वन्यजीव, अभयारण्य, जैवमण्डल रिजर्व बाघ रिजर्व, हाथी काराडोर आदि का भग है। (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्योरा और प्रमुख वन्य जीवनकार्ड का टिप्पणियों अनुबंधित की जायें।)	परियोजना स्थल दुधवा टाइगर रिजर्व के नोटिफाइड बफर जोन का भाग नहीं है।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और दुलर्भ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्योरा दें।	नहीं।
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारस्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ तो तत्संबंधी सक्षम प्राधिकरण से अपनापत्ति प्रमाण–पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, दें।	नहीं।
8.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग–1 कालम–2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जाँचे गये विकल्पों के ब्योरे के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	प्रश्नगत कार्य किया जाना जनहित में है जिससे आस–पास के लोगो को बात–चीत करने में सुविधा मिलेगी। प्रस्तावित क्षेत्र के आस–पास वन भूमि ही है अन्य कोई विकल्प वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नही है। इस हेतु भूमि की मॉग न्यूनतम है अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
9.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि दोष अधिकारियों पर की गई कार्यवाही वन ब्यौरा दें तथा उल्लंघन संबंधी अभी भी चल रहें है।	नहीं।

10.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम वन ब्यौरा।	
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित बनेत्तः क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र आस–पास के वन से इसकी दूरी भू–खण्डों की संख्याप्रत्येक भू–खण्ड का आकार।	सचिव उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या 3544/14–2–2008 लखनऊ दिनांक 23 अगस्त 2008 के अनुपालन में प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग आगरा के अन्तर्गत 20 कि. मी क्षेत्र में वृक्षारोपण करने हेतु वांछित धनराशि प्रस्तावक द्वारा उपलब्ध करायी जा चुकी है। संबंधित अभिलेखों की छाया प्रति संलग्न है।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र आस–पास के वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	लागू नही है।
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यन्वयन एजेन्सी, समय अनुसूची लागत ढाचा आदि।	लागू नही है।
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय	लागू नही है।
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्ता के बारे में प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण–पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाये)।	लागू नही है।
11.	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7,8,9 से पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुये संलग्न करें।	संलग्न है
12.	विभाग/जिला प्रोफाइल	
i	जिले के भौगोलिक क्षेत्र	768000 हे0
ii	जिले का वन क्षेत्र	1,65,549 हे0
iii	मामलो की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	180.0282 हे0, 21 मामले
iv	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वर्गीकरण	वन भूमि में 111.3964 हे0
क	दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	0
ख	वनेत्तर भूमि	0
ट	प्रतिपूरक वनीकरण से हुई प्रगति	
क	वन भूमि पर	111.3964 हे0
ख	वनेत्तर भूमि पर	–
13	प्रस्ताव की स्वीकृति करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उपवन संरक्षक विशेष सिफारिश।	जनहित को दृष्टिगत रखते हुए, प्रस्ताव स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है।

दिनांकः– 29/06/2022
स्थान– लखीमपुर खीरी।

(सुन्दरेश)
प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तर खीरी वन प्रभाग/
उप निदेशक (बफर जोन)
दुधवा टाइगर रिजर्व
लखीमपुर–खीरी